



प्रेस नोट थाना सदर बाजार

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक- 06.08.2025

“थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत चोरी से सम्बन्धित अभियोग में वांछित अभियुक्तगण को मय माल के किया गया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के नेतृत्व में अपराधों की रोकथाम एवं घटनाओं के सफल अनावरण के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण - :

दिनांक 04.08.2025 को थाना सदर बाजार पर वादी मनोज कुमार पुत्र श्री राजू निवासी वाइवाग हरिजन कालोनी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर द्वारा प्राप्त प्रा0पत्र बावत दिनांक 03.08.25 को अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर से LCD CEMEX 42” व एक सिलेन्डर इण्डेन कम्पनी के चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। जिसके आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 478/2025 धारा 305 बीएनएस बनाम बाइस्तवाह 1.अभिषेक पुत्र सुनील वाल्मिकी नि0 वाइवाग हरिजन कालोनी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर 2.आजाद पुत्र स्व विजयपाल वाल्मिकी नि0 वाइवाग हरिजन कालोनी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये अभियुक्त अभिषेक व आजाद उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 06.08.2025 को समय करीब दोपहर 12.11 बजे वीर अब्दुल हमीद चौराहे के पास स्थित लक्ष्मी नारायण मन्दिर के पीछे जंगल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी TV LCD CEMEX 42” व एक सिलेन्डर इण्डेन कम्पनी बरामद किया गया तथा माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण अभिषेक व आजाद उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

- 1.अभिषेक पुत्र सुनील वाल्मिकी नि0 वाइवाग हरिजन कालोनी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर उम्र 22 वर्ष
- 2.आजाद पुत्र स्व. विजयपाल वाल्मिकी नि0 वाइवाग हरिजन कालोनी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर उम्र 21 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व समय :-

दिनांक 06.08.2025 को समय करीब दोपहर 12.11 बजे, थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत वीर अब्दुल हमीद चौराहे के पास स्थित लक्ष्मी नारायण मन्दिर के पीछे जंगल से।

पूछताछ अभियुक्त :-

अभियुक्तगण अभिषेक व आजाद ने पूछने पर बताया कि साहब हम लोग नशे के आदी हैं, हम लोगों ने नशे के पैसे के लिये चोरी की थी।

अपराधिक इतिहास

अभिषेक उपरोक्त

1. मु0अ0स0 478/2025 धारा 303(2)/317(2) वी.एन.एस थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर

आजाद उपरोक्त

1. मु0अ0स0 478/2025 धारा 303(2)/317(2) वी.एन.एस थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर

2. मु0अ0स0 491/2024 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी:-

चोरी हुयी TV LCD CEMEX 42" व एक सिलेन्डर इण्डेन कम्पनी ।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 रणजीत बहादुर सिंह
2. का0 मोनू कुमार
3. का0 मनीष कुमार
4. का0 सुभम पुनिया
5. का0 अंकुर मलिक

